राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1686/2009/अलवर
मैसर्स राज सोलवेक्स लिमिटेड.
अलवर

प्रार्थी

बनाम

उपायुक्त(अपील्स)
वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर

अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक — प्रार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक — अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 26.08.2014

निर्णय

यह अपील प्रार्थी व्यवसायी की ओर से उपायुक्त(अपील्स),वाणिज्यिक कर, अलवर(जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 277/आरएसटी/अलवर/99–00 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.04.1999 को टैंकर संख्या जी जे–12यू. 8243 को गांधीधाम से अलवर की ओर जाते हुए मण्डार पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता, सिरोही (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा चेक किया गया,जिसमें इम्पोर्टेड आर.बी.डी पामआयॅल(एडीबल) भरा हुआ था। वाहन चाल ने माल से सम्बन्धित दस्तावेज पेश किये,जिसके साथ बिल,गेटपास एवं डिलीवरी चालान तथा जी आर उपलब्ध थे,केवल मात्र घोषणा पत्र एस टी 18ए संलग्न नहीं था। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने परिवहनित माल अधिसूचित माल होने से उसकी अनिवार्यता के कारण राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया। इसी मध्य उक्त अभियोग की पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड (जिसे आगे निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा)को दे दी। निर्धारण अधिकारी ने वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र नही होने के कारण पुनः नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से जवाब के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए पेश किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने उसे अस्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,73,080/– आरोपित कर दी,जिसके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने दिनांक 18.08.2000 को आदेश पारित कर आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार कर दी।

राजस्व की ओर से अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18.08.2000 से असन्तुष्ट होकर राजस्थान कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत किये जाने पर कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1429 / 2000 / सिरोही का निस्तारण दिनांक 30.10.2002 को करते हुए अपील अस्वीकार कर दी। कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 30.10.2002 के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष रिवीजन संख्या 963 / 2003 प्रस्तुत की गई, जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिवीजन संख्या 13 / 2003 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,वार्ड–द्वितीय,वृत–बी, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स सुनील कुमार एण्ड कम्पनी के निर्णय दिनांक 10.09.2007 में प्रस्तुत रिवीजन को सम्बन्धित उपायुक्त(अपील्स) को प्रतिप्रेषित कर, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता,श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स देव ट्रेडिंग कम्पनी की एस.बी.सिविल रिवीजन नम्बर 555 / 2003 निर्णय दिनांक 5.9.2007 के निर्देशानुसार निष्पादन हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त निर्देश की पालना में अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 19.11.2009 को आदेश पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को बहाल कर प्रकरण का निस्तारण किया है। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19.11.2009 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अविधिक एवं अनुचित है। उनका कथन है कि परिवहनित माल आर बी डी पाम ऑयल है जो अपीलार्थी का कच्चा माल है,जिसका परिवहन गांधीधाम से अलवर के लिए किया जा रहा है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग माल से सम्बन्धित बिल,बिल्टी,गेटपास एवं डिलीवरी चालान आदि थे किन्तु वाहन चालक की भूल से जारी किया गया घोषणा पत्र एस टी18ए ट्रांसपोर्टर के पास ही रह गया था,जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर जवाब के साथ प्रस्तुत कर दिया गया,इसलिए हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी का कोई दोषी मनोभाव नही होने से मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी व अन्यक निर्णय दिनांक 3.5.2007 लागू नहीं होकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी.पी.मेटल्स (124 एसटी सी 611) लागू होता है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने विधिक प्रावधानों एवं प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की है, जो अविधिक है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन संख्या 190 / 2012 मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,भिवाडी में पारित

निर्णय दिनांक 07.01.2013, एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन संख्या 3/2011 मैसर्स हीरामणी फूड प्रोडक्टस,किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बांसवाडा एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2013तथा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 343/2012/अलवर मैसर्स लॉयड इलेक्ट्रोकि एण्ड इन्जीनियरिंग लिमिटेड,भिवाडी बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,अलवर हाल सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,वार्ड प्रथम,प्रतिकरापवंचन, अलवर में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2013 को उद्धृत करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता,श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स देव ट्रेडिंग कम्पनी की एस.बी.सिविल रिवीजन नम्बर 555/2003 निर्णय दिनांक 5.9.2007 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में आरोपित शास्ति को उचित माना है। उनका कथन है कि अपीलीधीन आदेश को बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उद्धृत किये गये निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,73,080/–आरोपित की है, जिसको अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2009 को पारित कर यथावत रखा है ।

हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 12.08.2001 को जारी पालना में प्रस्तुत जवाब दिनांक 17.08.2001 के साथ घोषणा पत्र एस टी सी संख्या 2984/13 प्रस्तुत किया गया है। अतः घोषणा पत्र एस टी 18सी के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति उचित नहीं है।

प्रकरण के तथ्यों से उजागर होता है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए नहीं पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया । नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए नहीं होने के कारणों को उजागर करते हुए घोषणा पत्र एस टी 18ए संख्या 11397/1 प्रस्तुत कर दिया गया था। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स पी मेटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में शास्ति आरोपण उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखे

जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उस सन्दर्भ में उद्धृत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पर्ट–2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :–

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-

The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case if is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

उपरोक्त सन्दर्भ में राजस्थान उच्च न्यायालय मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता बांसवाडा 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट–2 पेज 37 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :–

"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

".............On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2010 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य